

धारा 97 : अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन

- (1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला आवेदक, ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, एक आवेदन कर सकेगा।
- (2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा—
 - (क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण;
 - (ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना;
 - (ग) मालों या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण;
 - (घ) संदत्त या संदत्त किए गए समझे गए इनपुट कर प्रत्यय की ग्राह्यता;
 - (ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों पर कर के संदाय के दायित्व का अवधारण;
 - (च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है;
 - (छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गई किसी विशिष्ट बात का अर्थ या परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के रूप में होता है।

उपयुक्त नियम : नियम 104

उपयुक्त प्रारूप: प्रारूप जीएसटी एआरए-1
